ऊलानबटार घोषणाः

03 से 06 जुलाई 2018 के मध्य मंगोलिया के ऊलानबटार में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया के देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में एशिया एवं प्रशान्त में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये उत्तरदायी मंत्रियों व राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डलों के प्रतिनिधियों ने (क) क्षेत्र में निरन्तरता में होने वाली आपदाओं के कारण बार–बार होने वाली मानव, पशुधन व आजीविका की क्षति, व्यक्तियों के विस्थापन तथा पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक व संसाधनों की क्षति पर घोर चिन्ता व्यक्त की, (ख) अनियोजित व तेजी से हो रहे शहरीकरण, विकास, विस्थापन, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, गरीबी तथा अन्य मूलभूत, परस्पर सम्बद्ध व विकसित हो रहे आपदा जोखिम कारकों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता दर्शायी, (ग) चिरस्थायी विकास लक्ष्य 2030, पेरिस समझौते व आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सेन्डई रूपरेखा 2015–30 सहित वैश्विक रूपरेखाओं तथा क्षेत्रीय अन्तर–सरकारी व्यवस्थाओं के मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकारा, (घ) अन्तरिक्ष व स्थानिक तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शोध व अनुप्रयोग की चिरस्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वर्तमान व भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा, (ड.) व्यक्तियों, समुदायों, राष्ट्रों व पर्यावरण में प्रतिरोध्यता विकसित करने व उसे निरन्तर सुदृढ़ करने की आवश्यकता को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सेन्डई रूपरेखा तथा सेन्डई रूपरेखा के क्रियान्वयन की एशियाई क्षेत्रीय योजना के केन्द्र बिन्दु होने की पुष्टि की, (च) अवसंरचनाओं व घरों में प्रतिरोध्यता सुनिश्चित करने विषयक 2017 के उच्च स्तरीय कानकुन संवाद तथा 2017 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक मंच की संस्तुतियों का स्मरण किया, (छ) 2016 में भारत में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया के देशों के मंत्रियों के सम्मेलन की संस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुये तथा सरकारों के द्वारा एशियाई क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयासों में निरन्तरता तथा इस हेतु संस्थाओं के मध्य सहयोग व समन्वय बनाये रखने की वचनबद्धता को दोहराया, तथा (ज) अपने स्वंय की बचनबद्धताओं की पूर्ति के साथ–साथ स्थानीय, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों व समुदायों की साझेदारी से एशिया क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करने वाले विभिन्न हितधारकों की सराहना की।

ऊलानबटार घोषणा के द्वारा सभी सरकारों व हितधारकों से (क) प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा जोखिम के प्रभावी व कुशल प्रबन्धन हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन सहित अन्य के द्वारा स्थानीय से राष्ट्र स्तर तक सभी कार्यक्षेत्रों में प्रतिरोध्यता लाने के उद्देश्य से वैश्विक रूपरेखाओं को नीतियों व कार्य प्रणालियों में रूपान्तरित करने की वचनबद्धता, (ख) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु स्थानीय व राष्ट्रीय रणनीति का विकास व क्रियान्वयन यथा सेन्डई रूपरेखा के लक्ष्य ड./e की 2020 तक प्राप्ति के लिये अविलम्ब तेजी लाने, (ग) महिलाओं व लड़कियों, बच्चों व नौजवानों, अशक्त व अक्षम व्यक्तियों, बुजुर्गों, विस्थापितों तथा निर्बलता व निर्धनता के कारण घातकता झेल रहे व्यक्तियों की प्रतिभागिता व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुवे स्थानीय व राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के विकास, क्रियान्वयन व परिवीक्षण में मानवाधिकार आधारित, व्यक्ति केन्द्रित तथा सम्पूर्ण समुदाय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने, (घ) निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से तथा उपयुक्त विधीय व्यवस्थाओं व आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के साथ लिंग संवेदनशील आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं, नीतियो व कार्यक्रमों की परिकल्पना, विकास, नेतृत्व व क्रियान्वयन में महिलाओं की बराबर व पूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहित करने, (ड.) सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा सभी स्तरों पर निर्णय–निधारण प्रकिृया में सम्मिलित करते हुवे आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सभी अवस्थाओं में बच्चों व नौजवानों की व्यवस्थित उपस्थिति व हिस्सेदारी के समावेश का समर्थन करने, (च) आपदा जोखिम के न्यूनीकरण तथा प्रतिरोध्यता में वृद्धि के लिये स्थानीय क्षमता के सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय नेतृत्व के पोषण हेतु समुदाय स्तरीय क्रियाकलापों में वृद्धि व उन्हें प्रोत्साहित करने, (छ) क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी व सहयोग उपकरणों के समन्वयन से स्थानीय व राष्ट्रीय हितधारकों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय मंचों की स्थापना तथा पूर्व में स्थापित मंचों का सुदृढ़ीकरण करने, (ज) राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिये विशेष रूप से आर्थिक संसाधनों सहित अन्य की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्तपोषण हेतु अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वचनबद्धता दर्शाने, (झ) विशेष रूप से नयी अवसंरचनाओं को प्रतिरोध्य व सुगम बनाने तथा विद्यमान अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु

मौलिक, नवाचार आधारित व वहनीय समाधानों के द्वारा आपदा प्रतिरोध्यता हेतु जोखिम सूचित निजी व सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, (ञ) बीमा, पूर्वानुमान आधारित वित्तपोषण व सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे वित्तपोषण उपकरणों तथा विभिन्न आपदा जोखिम हस्तान्तरण उपायों के उपयोग के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक साझेदारी का समर्थन करने, (ट) प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की प्रतिरोध्यता में वृद्धि सहित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित अनुकूलन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण करने, (ठ) मौलिक व नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी एवं शोध की उपलब्धता को बढ़ाने, क्षमता विकास सुनिश्चित करने तथा सर्वाधिक घातकता झेल रहे समूहों की आवश्यकताओं व स्थानीय जोखिमों के निदान हेतु निर्णय निर्धारण में सहायता के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समूहों सहित विभिन्न स्थानीय व राष्ट्रीय हितधारकों के मध्य संवाद तथा ज्ञान के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने, (ड) प्रभावी आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को बढ़ावा तथा दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों की आबादी सहित सभी के लिये उपलब्ध चेतावनी के आधार पर समय पर कार्यवाही की व्यवस्था करने, (ढ़) बेहतर समन्वय, आपातकालीन अवसंरचनाओं व सेवाओं की निरन्तर क्रियाशीलता सुनिश्चित करने तथा राहत, पुनर्वास व विकास के मध्य प्रभावी रिश्ते बनाते हुवे आपदा पूर्व तैयारी, प्रतिवादन, आपदा उपरान्त पुनर्प्राप्ति तथा 'पहले से बेहतर निर्माण' में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश करने, (ण) आपदा जनित क्षति व हानि के आंकड़ो के व्यवस्थित एकत्रीकरण व अभिलेखन, स्थानीय व राष्ट्रीय रणनितियों को सूचित करने के लिये आपदा जोखिम आंकलन व विश्लेषण सम्बन्धित सूचनाओं के आदान–प्रदान, आधार रेखाओं की स्थापना व परिवीक्षण तथा लिंग, आयु, अपंगता सम्बन्धित आंकड़ों व स्थानीय जानकारियों का उपयोग करते हुवे वैश्विक व राष्ट्रीय लक्ष्यों व संकेतकों की प्राप्ति की प्रगति के आंकलन के लिये सेन्डई रूपरेखा परिवीक्षक (Sendai Framework Monitor) के उपयोग के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जवाबदेही में वृद्धि के प्रति वचनबद्धता दर्शाने, (त) विकसित व विकासशील देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि के साथ ही विकासशील देशों के मध्य व त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा तथा विकासशील व अल्पविकसित देशों, बन्दरगाह विहीन विकासशील देशों एवं विकासशील द्वीप राष्ट्रों की वित्तीय व तकनीकी क्षमता में वृद्धि के प्रति

वचनबद्धता दर्शाने तथा (थ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धित जागरूकता तथा वैश्विक कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिये व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवसों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस व विश्व सूनामी जागरूकता दिवस को प्रोत्साहित करने का आव्हान किया गया।

अन्त में (क) ऊलानबटार घोषणा के अन्तर्गत संस्तुत कार्यो का क्रियान्वयन, तय की गयी वचनबद्धताओं के सापेक्ष कार्यवाही तथा 2020 में आयोजित होने वाली अगले सम्मेलन में प्रगति का विवरण उपलब्ध करवाने, (ख) सेन्डई रूपरेखा 2015–30 पर कार्यवाही हेतु एशिया क्षेत्रीय योजना के कार्यवाही योजना (Action Plan) 2018–2020 के क्रियान्वयन हेतु सहभागी संस्थाओं तथा हितधारकों के साथ कार्य करने व अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों पर प्रगति का विवरण उपलब्ध करवाने तथा (ग) सभी हितधारक समूहों द्वारा स्वनिर्धारित वचनबद्धताओं का विवरण व नियमित प्रगति आख्या उपलब्ध करवाये जाने का संकल्प लिया गया।